सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 1453 / सो.आ.नि.–322(4) / 2025

दिनाँक: 19 दिसम्बर, 2025

प्रेषक,

निदेशक
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों द्वारा बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये अथवा बिना अवकाश लिए निदेशालय आने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर बिना आपसे पूर्वानुमति प्राप्त किये अथवा बिना अवकाश लिए निदेशालय में आते हैं, जिससे जनपद / विकास खण्ड स्तर पर उन्हें आवंटित कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। उक्त कृत्य प्रशासनिक दृष्टिकोण उचित नहीं है।

2– यदि किसी जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को अपने किसी संदर्भ में निदेशालय आने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो अपने जनपद के जिला विकास अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना अथवा अवकाश स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, यदि जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के एसोसियेशन के पदाधिकारियों को अपनी मॉगों के सम्बन्ध में निदेशक, सोशल आडिट से विचार–विमर्श करना है तो इसके लिए पूर्व में तिथि व समय निर्धारित कराना तथा निदेशालय आने से पूर्व अपने जनपद के जिला विकास अधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उस तिथि का मानदेय जारी न किया जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Kamlesh Kumar
Date: 19-12-2025
14:52:58

(कमलेश कुमार)
निदेशक।